"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2017—— आश्विन 5, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 05-88/2014/32. —— यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिये प्रयास करेगा;

और यतः, यह देखा गया कि प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी निरूद्ध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पर्यावरणीय क्षति एवं स्वास्थ्यगत समस्यायें होती है और इस प्रकार गंभीर पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न करती हैं;

और यतः, ओ. ए. क्र. 199/2014 श्रीमति अलमित्रा एच. पटेल एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य के प्रकरण में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 02-01-2017 द्वारा राज्य शासन को अल्प-जीवन पीवीसी तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में संज्ञान लेने और समुचित निर्देश पारित करने हेतु निर्देश दिये है;

और यतः, राज्य शासन द्वारा, पूर्व में ही प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग को इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-7/18/2011 दिनांक 24-12-2014 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तथापि, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की उपरोक्त निर्देश को ध्यान में रखते हुये, प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी तथा क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना क्र. एस. ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10-02-1988 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-7/18/2011, दिनांक 24-12-2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमित करते हुए, जिन्हे ऐसे

अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नानुसार निर्देश जारी करती है :-

निर्देश

1. यह कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का, तत्काल प्रभाव से विनिर्माण नहीं करेगा;

2. यह कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला आदि सम्मिलित है, प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का, तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं करेगा :

   परन्तु यह कि किसी निर्यात आदेश के विरूद्ध केवल निर्यात के प्रयोजन हेतु विनिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 2 के उप-नियम (2) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रयोज्यता से छूट होगी;

3. यह कि निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पवम) की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 394 (ई), दिनांक 16-04-1987 द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत होंगे, अर्थात् :-

   1. जिला कलेक्टर;
   2. उप खंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम);
   3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी;

स्पष्टीकरण - (क) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, शब्द "प्लास्टिक" और "कैरी बैग" का वही अर्थ होगा, जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित है.

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन का दायित्व, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल का होगा.

(ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन का दायित्व, नगरीय विकास विभाग का होगा.

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन का दायित्व, संबंधित ग्राम पंचायत का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 05-88/2014/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 27th September 2017

NOTIFICATION

No. F 05-88/2014/32. — Whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags, short-life PVC and chlorinated plastics are causing blockage of gutters, sewers and drains, which results in short term and long term environmental damage and health hazard and thus create a serious environmental problem;

And whereas, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Mrs. Almitra H. Patel and Anr Vs. Union of India and Ors O. A. No. 199/2014, in its order dated 02-01-2017 has given direction to the State Governments to consider and pass appropriate directions in relation to ban on short-life PVC and chlorinated plastics;

And whereas, the State Government has already banned manufacturing storage, importation, sale, transportation and use of plastic carry bags vide this Department's Notification No. F 5-7/18/2011 dated 24-12-2014, however in view of the above direction of National Green Tribunal, a need has been felt to extend the ban imposed on plastic carry bags to short-life PVC and Chlorinated plastics as well;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) as delegated under Section 23 of the said Act by the Central Government, vide Notification No. S. O. 152 (E), New Delhi, dated 10-02-1988, the State Government, in supersession of this Department's Notification No. F 5-7/18/2011 dated 24-12-2014, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, hereby, directs as follows,-

DIRECTIONS

1. That, no industry shall manufacture plastic carry bags, short-life PVC and chlorinated plastics i. e. advertising and publicity materials (banners, flexes, hoardings, foam boards, etc. of PVC and plastic items used for catering (cups, glasses, plates, bowls and spoons) in the State of Chhattisgarh with immediate effect;

2. That, no person including advertiser, shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker, etc. shall manufacture, store, import, sell, transport and use plastic carry bags, short-life PVC and chlorinated plastic i. e. advertising and publicity materials (banners, flexes, hoardings, foam boards etc. of PVC) and plastic items used for catering (cups, glasses, plates, bowls and spoons) in the State of Chhattisgarh with immediate effect:

   Provided that plastic carry bags manufactured exclusively for export purposes against any export order shall be exempted from the application of this notification in terms of sub-rule (2) of Rule 2 of the Plastic Waste Management Rules, 2016;

3. That the following Officers shall file the complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) by virtue of the power delegated to them by Government of India, Ministry of Environment and Forests (MoEF) Notification No. S. O. 394 (E), dated 16-04-1987, namely :-

   (1) District Collector;

   (2) Sub Divisional Magistrate (SDM);

   (3) Regional Officer of the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

Explanation - (a) For the purpose of this Notification the words 'plastic' and 'carry bags' shall have the same meaning as defined under the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(b) The Chhattisgarh Environment Conservation Board shall be responsible for enforcement of the provisions specified in the clause (1) of the Rule 12 of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(c) The Urban Development Department shall be responsible for enforcement of the provisions specified in clause (2) of Rule 12 of Plastic Waste Management Rules, 2016.

(d) Concerned Gram Panchayat shall be responsible for enforcement of the provisions specified in clause (3) of Rule 12 of Plastic Waste Management Rules, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.